पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

मास्टर परिपत्र

पीएफआरडीए/मास्टर परिपत्र/2024/05/पीओपी-03 **दिनांक : 25 अप्रैल 2024**

प्रति
एनपीएस / एनपीएस-लाइट में सभी उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) और हितधारक

महोदया / महोदय,

मास्टर परिपत्र - एनपीएस (सर्व नागरिक और कॉर्पोरेट) / एनपीएस लाइट के अंतर्गत पीओपी के लिए सेवा प्रभार

1. यह परिपत्र, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 14 की उपधारा (२) खंड (ड) तथा पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 (संशोधन के अनुसार) ,विनियम 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

2. यह मास्टर परिपत्र *"एनपीएस (सर्व नागरिक और कॉर्पोरेट / एनपीएस-लाइट) के अंतर्गत पीओपी के लिए सेवा प्रभार"* विषय पर विद्यमान निर्देशों को समेकित करता है। इस विषय पर अंतर्निहित परिपत्रों की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

ASHISH KUMAR BHARATI
Digitally signed by ASHISH KUMAR BHARATI

(आशीष कुमार भारती)
महाप्रबंधक

विषयसूची	
भाग I	परिचय
भाग II	सामान्य दिशानिर्देश
भाग III	उपस्थिति अस्तित्व के लिए सेवा प्रभार
भाग IV	विशेष दिशानिर्देश
भाग V	मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची - अनुलग्नक I
	निरस्त और संग्रहीत किए गए परिपत्रों की सूची - अनुलग्नक II

एनपीएस (सर्व नागरिक और कॉर्पोरेट) / एनपीएस-लाइट के अंतर्गत पीओपी के लिए सेवा प्रभार

भाग I - प्रस्तावना

1. एनपीएस को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और वितरित करने तथा ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु उपस्थिति अस्तित्व ("पीओपी") को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए, पीओपी हेतु लागू प्रभारों में, समय-समय पर, प्राधिकरण द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से संशोधन किया गया है। उनके प्रयोज्यता की प्रभावी तिथि, जो संबंधित परिपत्रों में उल्लिखित है, अपरिवर्तित रहेगी।
2. उपर्युक्त मास्टर परिपत्र में निहित निर्देशों में वर्तमान तिथि तक जारी किए गए प्रासंगिक परिपत्रों को शामिल करके उचित रूप से उनका अद्यतन किया गया है।

भाग II - सामान्य दिशानिर्देश

3. पीओपी का अनुपालन दायित्व मास्टर परिपत्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि उसके साथ लागू कानूनों और विनियमों से भी सम्बद्ध होगा।
4. यह मास्टर परिपत्र इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा, किन्तु उसके (पूर्व में जारी किए गए परिपत्रों) के संचालन और प्रभाव के प्रति, उस अवधि के लिए जब वे लागू थे, पूर्वाग्रह से मुक्त होगा, जब तक कि उन्हें मास्टर परिपत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं कर लिया जाए। उपर्युक्त चेतावनी के आधार पर, मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची वाला **भाग V,** जो **अनुलग्नक I** में रखा गया है, इस प्रकार होगा, मानों वे सभी परिपत्र मास्टर परिपत्र में सम्मिलित कर लिए गए हों और सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत रूप से लागू हों। समय-समय पर रद्द किए गए और संग्रहीत परिपत्रों की सूची **अनुलग्नक II** में दी गई है।
5. किसी परिपत्र के ऐसे निरस्त होने के पश्चात भी, मास्टर परिपत्र में उसके विलय पर या अन्यथा, अब निरस्त किए गए परिपत्रों के अंतर्गत (उनके लागू होने की अवधि के दौरान) की गई या उठाई गई या कथित रूप से की गई या उठाई गई या की जाने वाली या इसके बाद उठाई जाने वाली किसी भी कार्रवाई को वैध रूप से किया हुआ माना जाएगा जैसे कि उक्त परिपत्र पूरी तरह लागू और प्रभावी हों और वे किसी भी प्रकार से उनके निरस्तीकरण से अप्रभावित रहेंगे।
6. निरस्त किए गए परिपत्रों का पिछला संचालन या उसके तहत विधिवत रूप से किए गए या उठाए गए कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, जो अर्जित, उपार्जित या वहन

किया गया है, कोई भी अर्थदंड, कोई भी आदेश पारित, कोई उल्लंघन, कोई भी जांच और परिपत्रों (जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है) के संदर्भ में लंबित कानूनी कार्यवाही इस प्रकार मानी जाएगी, मानों वे परिपत्र पूरी तरह से लागू और प्रभावी हों और वे किसी भी तरह उनके निरस्तीकरण से अप्रभावित रहेंगे।

<u>भाग III</u>

उपस्थिति अस्तित्व के लिए सेवा प्रभार

7. एनपीएस (सर्व नागरिक और कॉर्पोरेट) के अंतर्गत पीओपी के लिए प्रभार संरचना निम्नानुसार है[a] :

मध्यवर्ती	सेवा	प्रभार	कटौती की विधि
पीओपी	(i) प्रारंभिक अभिदाता पंजीकरण	न्यूनतम रुपये 200/- से अधिकतम रुपये 400/- (केवल स्लैब के भीतर परक्राम्य)	अग्रिम रूप से एकत्र किया जाना है
	(ii) प्रारंभिक अंशदान (iii) सभी पश्चातवर्ती अंशदान	अंशदान के 0.50% तक, न्यूनतम रुपये 30/- और अधिकतम रुपये 25000/- के अध्यधीन (केवल स्लैब के भीतर परक्राम्य)	
	(iv) सभी गैर-वित्तीय लेनदेन	रु. 30/- (निश्चित / फ्लैट और गैर-परक्राम्य)[b]	
	(v) निरंतरता *	रुपये 1000/- से रुपये 2999/- वार्षिक अंशदान के लिए रुपये 50/- प्रति वर्ष रुपये 3000/- से रुपये 6000/- वार्षिक अंशदान के लिए रुपये 75/- प्रति वर्ष रुपये 6000/- से ऊपर के वार्षिक अंशदान के लिए रुपये 100/- प्रति वर्ष (केवल एनपीएस सर्व नागरिक के लिए)	यूनिट कटौती द्वारा
	(vi) ई-एनपीएस (पश्चातवर्ती अंशदान के लिए)	अंशदान का 0.20%, न्यूनतम रुपये 15/- और अधिकतम रुपये 10,000/- के अध्यधीन (केवल एनपीएस सर्व नागरिक और टियर - II खातों के लिए)	अग्रिम रूप से एकत्र किया जाना है

	(vii) डी-रेमिट अंशदान के लिए ट्रेल-कमीशन [c]	अंशदान राशि का 0.20% की दर से (न्यूनतम रुपये 15 और अधिकतम रुपये 10,000) (केवल एनपीएस सर्व नागरिक और टियर - II खातों के लिए)	आवधिक आधार पर यूनिट कटौती के माध्यम से
	(viii) निकास / प्रत्याहरण का प्रसंस्करण	कोष के 0.125% की दर से न्यूनतम रुपये 125/- और अधिकतम रुपये 500/-	अग्रिम रूप से एकत्र किया जाना है
*1. ऐसे पीओपी को निरंतरता प्रभार देय है जिससे अभिदाता एक वित्त वर्ष में छह महीने से अधिक समय से सम्बद्ध हो।			
2. न्यूनतम प्रति लेनदेन अंशदान रुपये 500/- है और न्यूनतम वार्षिक अंशदान रुपये 1000/- है।			
3. जीएसटी या अन्य कर, जो लागू हों, अतिरिक्त होंगे।			

*(नोट - कृपया फुटनोट a, b और c के लिए **भाग V - अनुलग्नक I** देखें)*

भाग IV - विशेष दिशानिर्देश :

8. अभिदाता पंजीकरण हेतु पीओपी के सेवा प्रभार में किया गया संशोधन दिनांक 01 फरवरी, 2022 से लागू है।
9. पीओपी, अभिदाताओं के साथ प्रभारों पर बातचीत करने का विकल्प जारी रखेंगे, किन्तु इसे न्यूनतम और अधिकतम प्रभार संरचना के भीतर निर्धारित करना होगा।
10. एनपीएस सर्व नागरिक मॉडल के अंतर्गत उन खातों पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निरंतरता प्रभार लागू होगा, जहां अभिदाता एक वित्त वर्ष में छह महीने से अधिक समय के लिए पीओपी से संबद्ध हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान टियर-I खाते में अंशदान के विभिन्न स्तरों पर लागू निरंतरता प्रभार उपर्युक्त **बिंदु 7** पर दी गई तालिका के अनुसार होंगे। यह प्रभार संबद्ध पीओपी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सीआरए प्रणाली में यूनिट की कटौती द्वारा वार्षिक रूप से देय होगा।
11. ई-एनपीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंशदान करने वाले पीओपी से सम्बद्ध अभिदाताओं द्वारा पश्चातवर्ती लेनदेनों पर सेवा प्रभार को अंशदान राशि के 0.20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है जो न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये के अध्यधीन है। इस सेवा प्रभार में किए गए संशोधन दिनांक 15 फरवरी, 2022 से लागू हैं।
12. संबद्ध अभिदाताओं के डी-रेमिट अंशदान के लिए पीओपी को ट्रेल कमीशन, ईएनपीएस के समान अंशदान राशि का @ 0.20% (न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये) होगा। लागू प्रभार, आवधिक आधार पर यूनिट कटौती द्वारा वसूल किए जाएंगे जो 01.09.2022[c] से प्रभावी हैं।

13. निकास / प्रत्याहरण प्रसंस्करण प्रभार कोष (कॉर्पस) का 0.125% है जो कि न्यूनतम 125/- रुपये और अधिकतम 500/- रुपये है ।
14. पीओपी को उनके द्वारा वसूले जा रहे प्रभारों के बारे में अभिदाताओं को उचित प्रकटीकरण करना होगा।
15. एनपीएस-लाइट / स्वावलंबन[d] के अंतर्गत प्रभार संरचना निम्नानुसार है :

एनपीएस-लाइट / स्वावलंबन के अंतर्गत प्रभार दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी	प्रभार को लगाने की विधि
एनपीएस-लाइट / स्वावलंबन के अंतर्गत किसी भी पश्चातवर्ती लेनदेन के लिए प्रभार एनपीएस-लाइट / स्वावलंबन में अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जमा किए गए कुल अंशदान का 0.25% की दर से न्यूनतम रु. 20/- के अध्यधीन	सीआरए द्वारा यूनिट कटौती के माध्यम से - वित्तीय वर्ष के अंत में
कोई अन्य लेनदेन जिसमें अभिदाता से अंशदान शामिल नहीं है, रु. 10/- प्रति लेनदेन की दर से	

*(नोट - कृपया फुटनोट c और d के लिए **भाग V - अनुलग्नक I** देखें)*

16. एग्रीगेटर को एनपीएस-लाइट / स्वावलंबन अभिदाता से अग्रिम रूप से कोई प्रभार अथवा शुल्क एकत्र करने की अनुमति नहीं दी गयी है।
17. इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन होने की स्थिति में, पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 (यथा संशोधित) में उल्लिखित उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

भाग V

मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची - अनुलग्नक I

क्र.सं.	परिपत्र सं. (लिंक सहित)	जारी करने की तिथि	विषय
1	पीएफआरडीए/2022/03/आरईजी-पीओपी/01[a]	31/01/2022	एनपीएस (सभी नागरिक और कॉर्पोरेट) के तहत पीओपी के लिए सेवा शुल्क में संशोधन
2	पीएफआरडीए/2023/04/आरईजी-पीओपी/01[b]	20/01/2023	एनपीएस (सभी नागरिक और कॉर्पोरेट) के तहत पीओपी के लिए गैर-वित्तीय शुल्क पर स्पष्टीकरण

3	पीएफआरडीए/2022/22/एसयूपी-सीआरए/7[c]	22/08/2022	सभी नागरिक मॉडल के तहत पीओपी से जुड़े ग्राहकों द्वारा डी-रेमिट के माध्यम से स्वैच्छिक योगदान पर पीओपी को ट्रेल कमीशन
4	पीएफआरडीए/2017/5/एसडब्ल्यूएम/1[d]	20/02/2017	एनपीएस लाइट के अंतर्गत प्रभार और प्रोत्साहन संरचना 01.04.2017 से प्रभावी

मास्टर परिपत्र में निरस्त और संग्रहित किए गए परिपत्रों की सूची - अनुलग्नक II

क्र.सं.	परिपत्र सं. (लिंक सहित)	जारी करने की तिथि	विषय
1.	पीएफआरडीए/2021/49/आरईजी-पीओपी/2	13/12/2021	एनपीएस के तहत पीओपी के लिए शुल्क/प्रभार संरचना से संबंधित बातचीत की शर्त
2.	पीएफआरडीए/2020/40/आरईजी-पीओपी/1	14/09/2020	एनपीएस के तहत पीओपी के लिए शुल्क/प्रभार संरचना से संबंधित बातचीत की शर्त में संशोधन
3.	पीएफआरडीए/2017/34/पी&डी/1	31/10/2017	एनपीएस (सभी नागरिक और कॉर्पोरेट मॉडल) के तहत पीओपी के सेवा शुल्क के संशोधन पर स्पष्टीकरण
4.	पीएफआरडीए/2017/34/पीएंडडी/1	27/10/2017	एनपीएस के तहत पीओपी के लिए सेवा शुल्क में संशोधन (सभी नागरिक और कॉर्पोरेट)
5.	पीएफआरडीए/2016/17/सीओआरपी/3	26/07/2016	ई-एनपीएस के माध्यम से किए गए लेनदेन पर संबद्ध पीओपी के लिए सेवा शुल्क की शुरूआत
6.	पीएफआरडीए/2016/3/सीआरए/टीबी/1	28/01/2016	ई-एनपीएस के तहत ऑनलाइन ग्राहक पंजीकरण के लिए केवाईसी सत्यापन के लिए बैंकों/पीओपी के लिए शुल्क में संशोधन
7.	पीएफआरडीए/2015/13/पीओपी/02	20/04/2015	सभी अभिदाताओं और कॉर्पोरेट और सभी नागरिक मॉडल के लिए एनपीएस के तहत पीओपी के लिए प्रारंभिक ग्राहक पंजीकरण शुल्क में वृद्धि
8.	9/16/2008	16/01/2012	एनपीएस के तहत निजी क्षेत्र के ग्राहकों को कवर करने के लिए पीओपी के लिए प्रभार संरचना

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

MASTER CIRCULAR

PFRDA/Master Circular/2024/05/PoP-03 **Date: 25th April 2024**

To

All Point of Presence (PoPs) and Stakeholders in the NPS/NPS-Lite

Madam/Sir,

Master Circular - Service Charges for POPs under NPS (All Citizen and Corporate)/ NPS Lite

1. This circular is issued in exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 14 read with sub-section (2) clause (*m*) of Section 14 of the Pension Fund regulatory and Development Authority Act, 2013 and Regulation 16 of the PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018 , as amended thereon.

2. This master circular consolidates the existing instructions on the subject of "*Service Charges for POPs under NPS (All Citizen and Corporate/NPS-Lite)*". The list of underlying circulars on the subject is furnished in the **Annexure-I.**

This circular is issued with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

ASHISH KUMAR BHARATI — Digitally signed by ASHISH KUMAR BHARATI

Sd/-

(Ashish Kumar Bharati)
General Manager

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

CONTENTS	
PART I	Introduction
PART II	General Guidelines
PART III	Service charges for the Point of Presence
PART IV	Specific Guidelines
PART V	List of circulars consolidated in the Master Circular -Annexure I
	List of circulars Rescinded and Archived - Annexure II

Service Charges for POPs under NPS (All Citizen and Corporate) / NPS-Lite

PART I- INTRODUCTION

1. With a view to incentivize the Point of Presence ("PoPs") to actively promote and distribute NPS and provide better customer service, applicable charges for PoPs for the various services provided by them have been revised from time to time vide various circulars issued by the Authority. The effective date of applicability mentioned in respective circulars would remain unchanged.
2. The instructions contained in the aforesaid Master Circular have been suitably updated by incorporating relevant circulars, issued as on date.

PART II - GENERAL GUIDELINES

3. The compliance obligation of the PoPs shall not be confined merely to the Master Circular but, also to the applicable laws and regulations.
4. This Master Circular shall take effect from the date of its issuance but shall be without prejudice to their (earlier issued circulars) operation and effect, for the period when they were in force, until them being subsumed under the Master Circular. Based on the above caveat, **Part V** containing the list of circulars consolidated in the Master Circular – is placed at **Annexure I**, such that they are subsumed in the Master Circular and for all purpose and intent, remain operative, with no break of continuity. The list of circulars rescinded from time to time and archived is placed at **Annexure II**.
5. Notwithstanding such rescission of any circular, upon their merger in the Master Circular, or otherwise, anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or to be taken hereafter, under the circulars now rescinded (for the period of their operation) shall be construed to have been validly taken as if the said circulars are in full force and effect and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.
6. The previous operation of the rescinded circulars or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred, any penalty, any order passed, any violation committed, any investigation, legal proceedings pending in terms of the circular (now rescinded), shall be treated as if the circulars are in full force and effect, and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

PART III

SERVICE CHARGES FOR THE POINT OF PRESENCE

7. The charge structure for PoPs under NPS (All Citizen and Corporate) are as below[a]:

Intermediary	Service	Charges	Method of Deduction
POP	(i) Initial Subscriber Registration	Min. ₹200/- to Max. ₹400/- (Negotiable within slab only)	To be collected upfront
	(ii) Initial Contribution	Upto 0.50% of contribution, subject to Min. ₹30/- and Max. ₹25000/- (negotiable within slab only)	
	(iii) All Subsequent Contribution		
	(iv) All Non-Financial Transaction	Rs. 30/- (fixed/flat and Non – Negotiable)[b]	
	(v) Persistency*	₹50/- p.a. for annual contribution ₹1000/ to ₹2999/- ₹75/- p.a. for annual contribution ₹3000/ to ₹6000/- ₹100/- p.a. for annual contribution above ₹6000/- (Only for NPS All Citizen)	Through cancellation of units
	(vi) e-NPS (for subsequent contribution)	0.20% of contribution, subject to Min. ₹15/ and Max. ₹10,000/- (Only for NPS All Citizen and Tier - II Accounts)	To be collected upfront
	(vii) Trail commission for D-Remit Contributions [c]	@ 0.20% of the contribution amount (Minimum ₹ 15 and Maximum ₹ 10,000) (Only for NPS All Citizen and Tier - II Accounts)	Through unit deduction on periodical basis
	(viii) Processing of Exit/Withdrawal	@0.125% of Corpus with Min. ₹125/- and Max. ₹500/-	To be collected upfront

*1. Persistency fee is payable to such POPs to which the subscriber is associated for more than six months in a financial year.
2. Minimum per transaction contribution is ₹500/- and minimum annual contribution is ₹1000/-
3. GST or other taxes as applicable, to be additional.

*(Note – Kindly refer to **Part V - Annexure I** for footnotes a, b and c)*

PART IV -SPECIFIC GUIDELINES:

8. The revision of service charges for PoPs on subscriber registration is effective from 01st February, 2022.
9. The PoPs will continue to have the option to negotiate the charges with the subscribers, but within the prescribed minimum and maximum charge structure.
10. Persistency charge per financial year will be applicable on accounts under NPS- All Citizen Model where the subscribers are associated with the PoPs for more than six months in a financial year. The applicable persistency charges at different level of contributions in Tier-I account during the financial year shall be as per the table at **point – 7** above. This charge will be payable annually to the associated PoPs by deduction of the units in the CRA system after closure of the financial year.
11. The service charges on subsequent transactions by the subscribers associated with the PoPs who makes contribution through eNPS platform has been increased to 0.20% of the contribution amount subject to minimum of Rs. 15/- and maximum of Rs. 10,000/-. The revision of this service charge is effective from 15th February, 2022.
12. The trail commission to PoPs for D-Remit Contributions of the associated Subscribers shall be @ 0.20% of the contribution amount (Minimum ₹ 15 and Maximum ₹ 10,000) similar to eNPS. The applicable charges would be recovered by unit deduction on periodical basis w.e.f. 01.09.2022 [c] .
13. Processing of Exit/Withdrawal charges is 0.125% of Corpus with minimum ₹125/- and maximum ₹500/-.
14. The POPs shall make proper disclosure to subscribers about the charges being collected by them.
15. Charge structure under NPS-Lite/ Swavalamban[d] are as below:

Charges under NPS-Lite/Swavalamban w.e.f 01.04.2017	Method of levying charges
The charges for any subsequent transaction under NPS-Lite/Swavalamban @ 0.25% of the total contribution deposited by the subscriber in NPS-Lite/Swavalamban in a financial year subject to a minimum of Rs. 20/-	Through unit deduction by the CRA at the end of the Financial Year
Any other transaction not involving a contribution from subscriber @ Rs. 10/- per transaction	

*(Note – Kindly refer to **Part V - Annexure I** for footnotes c and d)*

16. The Aggregators are not permitted to collect any charge or fee upfront from the NPS-Lite/Swavalamban subscriber.
17. In case of any violation of these instructions suitable action shall be initiated as envisaged in the PFRDA Act, 2013 and PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018 as amended.

PART V

List of circulars consolidated in the Master Circular – Annexure I

S.No	Circular No. (With Link to access)	Date of Issuance	Subject
1	PFRDA/2022/03/REG-POP/01[a]	31/01/2022	Revision of Service Charges for PoPs under NPS (All Citizen and Corporate)
2	PFRDA/2023/04/REG-POP/01[b]	20/01/2023	Clarification on non-financial charges for PoPs under NPS (All Citizen and Corporate)
3	PFRDA/2022/22/SUP-CRA/7[c]	22/08/2022	Trail commission to POPs on voluntary contributions through D-Remit by Subscribers associated to POPs under All Citizen Model
4	PFRDA/2017/5/SWM/1[d]	20/02/2017	Charges and incentive structure under NPS Lite w.e.f 01.04.2017

List of Circulars Rescinded and Archived in the Master Circular - Annexure II

S.No	Circular No. (With Link to access)	Date of Issuance	Subject
1.	PFRDA/2021/49/REG-POP/2	13/12/2021	Condition of negotiation related to Fee/charge structure for PoP under NPS
2.	PFRDA/2020/40/REG-POP/1	14/09/2020	Revision in condition of negotiation related to Fee/charge structure for PoP under NPS
3.	PFRDA/2017/34/P&D/1	31/10/2017	Clarification on revision of Service Charges to PoPs under NPS (All Citizen and Corporate Model)
4.	PFRDA/2017/34/P&D/1	27/10/2017	Revision of Service Charges to PoPs under NPS (All Citizen and Corporate)
5.	PFRDA/2016/17/CORP/3	26/07/2016	Introduction of Service Charges to associated POPs on transactions made through e-NPS
6.	PFRDA/2016/3/CRA/TB/1	28/01/2016	Revision in fee for Banks/PoP for KYC verification for online subscriber registration under e-NPS
7.	PFRDA/2015/13/POP/02	20/04/2015	Enhancement of initial subscriber registration charges for POP under NPS for all

			subscribers and Corporate and All Citizen Model
8.	9/16/2008	16/01/2012	Charge structure for PoPs for covering the Private sector subscribers under NPS

****

ASHISH KUMAR BHARATI Digitally signed by ASHISH KUMAR BHARATI